



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013—आषाढ़ 21, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2013

क्र. ई-1-177-2013-5-एक.—राज्य शासन श्री प्रभात कुमार पाराशर, भाप्रसे (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 19 जून, 2013 के तारतम्य में अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम 1958 के नियम 16(2) के परन्तुके के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को एतदद्वारा शिथिल करते हुए श्री प्रभात कुमार पाराशर, भाप्रसे (1990) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 24 जून, 2013 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है।

तदनुसार श्री प्रभात कुमार पाराशर, भाप्रसे (1990), भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 24 जून 2013 अपराह्न से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति होंगे।

क्र. ई-5-477-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2013 द्वारा दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 15, 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-787-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 11 से 22 जून 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री एस सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री एस सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-832-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., सचिव, “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10 से 13 जून 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-871-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री धनराजू एस, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 10 से 18 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री धनराजू एस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. ई-1-186-2013-5-एक .—श्री विनोद सिंह बघेल, भाप्रसे (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 11 से 17 जुलाई 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री निशांत वरवडे, भाप्रसे, कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवडे, कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खेरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 17 से 25 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खेरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खेरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खेरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 जुलाई से 6 अगस्त 2013 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला शाजापुर को दिनांक 8 से 19 जुलाई 2013 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री मुकेश शुक्ल, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश शुक्ल, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ. ए. 5-16-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.	अवकाश अवधि क्र	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 26-04-2013 से 02-05-2013 तक.	07 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश।	-

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ. ए. 5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-02-2013 यूएस II, दिनांक 17 मई 2013 द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री केशव कुमार त्रिवेदी, मान. न्यायाधिपति श्री शील नागू अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में और माननीय न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 23 मई 2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीब-5-एक .—श्रीमती मधु खेरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 11, 12 एवं 25, 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-854-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भिण्ड को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उनीस दिन के अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं दिनांक 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोंसले, अवर सचिव “कार्मिक”.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. एफ-06-11-2007-चौवन-1-संशोधन.—भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18-12-2002 द्वारा मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि क्रमांक-48 पर “सरगरा” जाति को जोड़े जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-06-11-2007-चौवन-1, दिनांक 8 मई 2008 की सूची के सरल क्रमांक-70 पर अंकित “सरगरा” जाति को सूची से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2013

क्र. एफ-7-33-12-बतीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2012 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेंटेनेंट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 से एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अप्रैल 2013 को समाप्त हो गई है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेंटेनेंट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2013 से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2014 तक, नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सव्सेना, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 27), राज्य शासन, श्री रवि नायक, श्री महेश प्रसाद नायक को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है। उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 66), राज्य शासन, श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन पति श्री राज कुमार भद्रसेन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी, 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 75), राज्य शासन, श्रीमती पूनम डामेचा पति श्री सुरेश डामेचा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है। उसकी जन्मतिथि 16 फरवरी, 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 87), राज्य शासन, श्री सचिन कुमार जाधव पिता श्री रायमल जाधव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 24 अक्टूबर, 1984 है।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)4-1996-इक्कीस-ब(एक).—निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री एस. एस. कनौज, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, देपालपुर, जिला इन्दौर (वर्तमान पदस्थापना अलीराजपुर) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट में परित प्रस्ताव दिनांक 18 मई 2013 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री एस. एस. कनौज, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, देपालपुर, जिला इन्दौर (वर्तमान पदस्थापना अलीराजपुर) को सेवा से पदच्युत (Dismiss) किया जाए।

अतः म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम (9) के प्रावधानों के अनुसार एतदद्वारा, राज्य शासन श्री एस. एस. कनौज, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, को सेवा से पदच्युत (Dismiss) करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

फा. क्र. 1(सी)12-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू. ओ. क्र. 262-2013-1-10, दिनांक 5 जून 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्लूरो, (म. प्र.) भोपाल के दाइडक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण, विविध दाइडक प्रकरण एवं इससे भिन्न प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्लूरो, (म. प्र.) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री सुशीलचंद्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 18,000/- (रु. अट्ठारह हजार) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा-24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का आनुषांगिक व्यय भी पाने के अधिकारी होंगे। बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्लूरो भोपाल द्वारा किया जायेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

फाईल क्र. 17(ई)324-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री बृजेश पाटकर, अधिवक्ता, बांधवगढ़ को नोटरी व्यवसाय करने

हेतु दिनांक 2 अगस्त 2008 को नोटरी प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका दिनांक 28 दिसम्बर 2012 को स्वर्गवास हो जाने से आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

फा. क्र. 1(सी)23-2008-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जून 2012 के तारतम्य में सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यूओ क्र. 282-2013-1-10, दिनांक 19 जून 2013 तथा लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रमांक 4235-स्था-2013, दिनांक 27 मई 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाइडक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाइडक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री अरविन्द गोखले, अधिवक्ता, इन्दौर को रुपये 40,000 (रु. चालीस हजार) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा-24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 19 जून 2013 से पुनः एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का आनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

फा. क्र. 1(बी)6-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा श्री स्नेह प्रकाश सोनी पुत्र श्री मदनलाल जी वर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री स्नेह प्रकाश सोनी की जन्म तिथि 4 नवम्बर 1964 (चार नवम्बर उन्नीस सौ चौंसठ) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 04-11-2026 (चार नवम्बर दो हजार छब्बीस) को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

फा. क्र. 1(बी)47-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री शशि कुमार श्रीवास्तव को अति शासकीय अभिभाषक/अति लोक अभियोजक, धार नियुक्त किया गया था।

श्री शशि कुमार श्रीवास्तव, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, धार की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 35)
इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2013 के द्वितीय पैरा में अंकित शब्द “भोपाल” के स्थान पर “मुरैना” पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-1(ए)-391-1988-ब-2-दो.—श्री विजय यादव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश, 20, 21 जुलाई 2013 एवं 9, 10, 11 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विजय यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ-1 (ए) 308-79-ब-2-दो.—श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के

को दिनांक 22 जून से 3 जुलाई 2013 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री रमेश शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय यादव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रमेश शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. एफ-1(ए)119-1992-ब-2-दो.—श्री ए. के. जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 से गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत सप्तलीक श्रीनगर-लोह लद्दाख (जम्मू कश्मीर) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. जैन, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री ए. के. जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. एफ-1 (ए) 257-88-ब-2-दो.—डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को “ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया, बैंगलुरु” द्वारा “पबला, मैक्सिको” में आयोजित “2013 डब्ल्यूटी.एफ. वर्ल्ड ताईक्वाण्डो चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने हेतु दल प्रमुख के रूप में निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दिनांक 15 से 19 जुलाई 2013 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India Leave) दिनांक 13, 14, 20 एवं 21 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) उक्त विदेश यात्रा का समस्त व्यय भार “ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया, बैंगलुरु” द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 308-1979-ब-2-दो.—श्री रमेश शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 31 अगस्त 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 1 सितम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय छ्लाक वर्ष-2012-13 में पत्नी श्रीमती नीता शर्मा सहित गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत “चेन्नई” जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री विजय यादव, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) श्री रमेश शर्मा, भापुसे के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. एफ-1 (ए) 120-93-ब-2-दो.—श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अनुसंधान), अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 8 अगस्त 2013 तक, कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 20, 21 जुलाई 2013 एवं 9, 10, 11 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. बाबूराव, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी.पी. उइके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अनुसंधान), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. बाबूराव, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी.-15-3-2013-चौदह-3.—चूंकि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का क्रय विक्रय करने के लिये सिवनी जिले की तहसील केवलारी के राजस्व सर्किल पलारी में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम पलारी में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी.-15-3-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

Bhopal, the 28th June 2013

No. D-15-3-2013-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section of Section (2) 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Gram Palari for regulating the purchase and

sale of agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the revenue circle area of Palari in Tehsil Keolari of district Seoni.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2013

क्र. डी.-15-3-2013-चौदह-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना डी-15-11-86-चौदह-3(ए), दिनांक 31 मई 1988 द्वारा सिवनी जिले की केवलारी तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से तहसील केवलारी में राजस्व सर्किल पलारी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके “उक्त मंडी क्षेत्र” की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा और उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2013

क्र. डी.-15-3-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 28th June 2013

No. D-15-3-2013-XIV-3.—WHEREAS by this Department Notification No. D-15-11-86-XIV-3(A), dated 31st May 1988 issued under the Section 3 of sub-section (1) of the Madhya Pradesh Agricultural produce market Act, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Keolari Tehsil of Seoni District “here in after reffered to as the “said market area.”.

And wehre it is now proposed to alter the limits of the

“said market area” by split up herewith the area comprising of Revenue circle of Palari in Tehsil Keolari Seoni District, (here in after referred to as the “siad area”).

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) and the sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the “said market area” by splitting up the “said area”.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. फा. 3(ए)-2-2006-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन वर्ष 2014 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी	जन्म तिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गोविन्द सिंह काकोडिया, अपर जिला न्यायाधीश	3-1-1954	2-1-2014	31-1-2014
2	श्री प्रताप सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय	7-3-1954	6-3-2014	31-3-2014
3	श्री रेवा राम बामनिया, अपर जिला न्यायाधीश	1-4-1954	31-3-2014	31-3-2014
4	श्री राम प्रकाश शरण, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम	2-5-1954	1-5-2014	31-5-2014
5	कुमारी सुनीता सी बालों, अपर जिला न्यायाधीश	3-5-1954	2-5-2014	31-5-2014
6	श्री महादेव मुवेल, अपर जिला न्यायाधीश	9-5-1954	8-5-2014	31-5-2014
7	श्री सुशील कुमार गुप्ता, आयुक्त विभागीय जांच	12-5-1954	11-5-2014	31-5-2014
8	श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्याया.	28-5-1954	27-5-2014	31-5-2014
9	श्री सावन सिंह डाबर, अपर जिला न्यायाधीश	1-6-1954	31-5-2014	31-5-2014
10	श्री करीम दाद खान, प्रमुख सचिव विधि विभाग	21-6-1954	20-6-2014	30-6-2014
11	श्री गिरी राज किशोर शर्मा, अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम.	1-7-1954	30-6-2014	30-6-2014
12	श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1-7-1954	30-6-2014	30-6-2014
13	श्री विनोद कुमार दुबे (जूनि.), अपर जिला न्यायाधीश	9-7-1954	8-7-2014	31-7-2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	श्री राम प्रकाश वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उ. न्या., इन्डौर	25-8-1954	24-8-2014	31-8-2014
15	श्रीमती पारो रायजादा, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम	7-9-1954	6-9-2014	30-9-2014
16	श्री अशोक कुमार जैन (जूनि.) अपर जिला न्यायाधीश निलंबित	16-9-1954	15-9-2014	30-9-2014
17	श्री तुलसी राम उड़के, अपर जिला न्यायाधीश	1-10-1954	30-9-2014	30-9-2014
18	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जूनि., जिला एवं सत्र न्यायाधीश	9-10-1954	8-10-2014	31-10-2014
19	श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	15-10-1954	14-10-2014	31-10-2014
20	श्री शंभू दयाल दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	1-11-1954	31-10-2014	31-10-2014
21	श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश	10-12-1954	9-12-2014	31-12-2014
22	कुमारी किरण गौहर, अपर जिला न्यायाधीश	25-12-1954	24-12-2014	31-12-2014
23	श्री सतीश कुमार ताराम, अपर जिला न्यायाधीश	26-12-1954	25-12-2014	31-12-2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ 11-06-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-06-2013-तीस, दिनांक 18 फरवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	टीकमगढ़	बलदेवगढ़	बलदेवगढ़	किला बलदेवगढ़	खसरा नं. 03	5.289 हेक्टेयर	लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन, ग्वाल सागर, बलदेवगढ़	नहीं

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

क्र. एफ 11-09-2011-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-09-2011-तीस, दिनांक 2 जनवरी, 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	मुरैना	जौरा	करसा	शैलाश्रय, लिखी छाँज.	67	717 बीघा	149.853	—

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

क्र. एफ 11-11-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक 660-2012-तीस, दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 3495, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर	प्राचीन किला	खसरा नं. 63/1	रकबा 9.821 एकड़	म.प्र. शासन	नहीं है.

(4) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

क्र. एफ-11-18-2008-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-18-2008-तीस, दिनांक 2 जनवरी, 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

(2) आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	लौडी	व्यास वटौरा	यौगिनी मंदिर	1130, 1131	3.416 वर्ग मी.	म. प्र. शासन	नहीं है.

(4) राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक / पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, म. प्र. भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. एफ. 3-136-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-136-2012-बत्तीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2012 को उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित नीमच विकास योजना, 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरै एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम धनेरियाकलौ	919, 920, 921, 922, 938, 841/1.	5.568 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय, शर्तें-(1) ग्राम धनेरिया कलौ मुख्य मार्ग तक के पहुंच मार्ग (858 मी.) को 12 मीटर चौड़ा एवं 7.5 मीटर बी टी का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा. (2) रेल्वे लाईन से दूरी एवं भवन ऊंचाई के प्रावधान रेल्वे के विनियम अनुसार निर्धारित करने होंगे.

योग . . 7.29 हेक्टेयर

1. यह कि आवेदक संस्था ने म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 2,14,36,800/- (रुपये दो करोड़, चौदह लाख, छत्तीस हजार, आठ सौ मात्र) दिनांक 16 मई 2013, 17 मई 2013 तथा 19 जून 2013 को भारतीय स्टेट बैंक दशहरा मैदान, नीमच शाखा में क्रमशः चालान क्र. 236, 221 तथा 219 के द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है।

2. ग्राम धनेरिया कलौ मुख्य मार्ग तक के पहुंच मार्ग (540 मी 318 मी.) को 12 मीटर चौड़ा एवं 7.5 मीटर बी टी का निर्माण आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा। कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, नीमच द्वारा हस्ताक्षरित प्राकलन अनुसार दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाएगा। इस मार्ग की अनुमानित लागत रुपये 44,417 लाख का 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक, म. प्र. विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा करेंगे।

3. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा।

4. आवेदक संस्था निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी।

5. कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, नीमच के द्वारा यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त मार्ग स्पेशिफिकेशन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरान्त बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा।

6. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था इस अवधि को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी। सक्षम प्राधिकारी से भवत अनुज्ञा प्राप्त करने के 24 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा। बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को होगा, तथा वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक संस्था को उक्त उल्लेखित 24 माह की अवधि को भी बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे।

7. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना ही अगर उक्त bank guarantee समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा।

8. उपांतरित क्षेत्रफल 5.568 हेक्टेयर का पटवारी अक्स संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को पृथक से प्रेषित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बर्षा नावलेकर, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्र. 4428-2187-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न-पत्र महिला एवं बाल कल्याण एवं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5536-4862-2103-अका-विप्र-2013, दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में रीवा संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री रामनारायण सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी अंकित है के स्थान पर अब श्री राजनारायण सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी पढ़ा जाए।

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 4533-4428-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री शाश्वत सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए, अंकित है, के स्थान पर अब उत्तीर्ण किए गए विषयों में श्री शाश्वत सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 18 जून 2013

क्रमांक 8467-रीडर-2-2013.—राष्ट्रीय राजमार्ग-59, इन्दौर-अहमदाबाद के घाटाबिल्लोद/डेहरीसराय से लेबड़ तक के भाग में, सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण असुरक्षित गढ़े, पानी का भराव पानी की निकासी न होने, कीचड़ के कारण फिसलन होने से, उक्त क्षेत्र से होकर निकलने वाले यातायात, संलग्न क्षेत्र के रहवासियों तथा उक्त क्षेत्र से होकर जाने वाले संलग्न क्षेत्रों के नागरिकों को हो रही परेशानी, दुर्घटना से सड़क जाम एवं वाहनों के उलटने के संबंध में जनप्रतिनिधियों, नागरिकों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निरन्तर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा शीघ्र सड़क मरम्मत की मांग की गई है।

2. उल्लेखित भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में होकर, संधारण हेतु निर्माण एजेंसी 'आयवीआरसीएल' के दायित्व में है, किन्तु पिछले लगभग छः माह से निर्माण एजेंसी 'आयवीआरसीएल' द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग संधारण की दिशा में अनेकों बार ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद भी, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ स्तरों पर चर्चा किए जाने के बाद भी कोई सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है।

3. उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा श्रीमती नीना विक्रम वर्मा माननीय विधायिका धार विधान सभा क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5382/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-5-2013 को क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत हेतु कार्य एजेंसी को तीन दिन में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। किन्तु संधारण की कार्यवाही आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुई है।

4. पिछले एक सप्ताह से वर्षा प्रारंभ होने के कारण प्रायः हर दिन वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से जाम लगने, यातायात बाधित होने से क्षेत्र की जनता में अत्यन्त आक्रोश एवं कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तथा क्षतिग्रस्त भाग को तत्काल दुरुस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। मौके के निरीक्षण तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार उक्त क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किए गैर, संधारण की कार्यवाही संभव नहीं है।

5. अतः पुलिस अधीक्षक जिला धार से किए गए परामर्श अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं सी.बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला धार, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, निम्नानुसार प्रतिबंध आदेशित करता हूँ :—

- यह कि लेबड़ घाटाबिल्लोद मार्ग जो कि लेबड़ तिराहे से घाटाबिल्लोद तिराहे तक का भाग होकर, लगभग 05 कि. मी. है से होकर, उक्त मार्ग की मरम्मत होने तक भारी वाहनों के लिये प्रतिबंधित रहेगा।
- रतलाम बदनावर की ओर से होकर आने वाले भारी वाहन जिन्हें उक्त मार्ग से होकर इन्दौर/पीथमपुर की ओर जाना है, लेबड़ मानपुर लिंक रोड से होकर मानपुर से ए. बी. रोड होकर जाएंगे।
- यह कि इन्दौर से बेटमा होकर रतलाम-नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद की ओर जाने वाले मालवाही वाहन इन्दौर से राऊ, ए. बी. रोड मानपुर, मानपुर-लेबड़ लिंक रोड से होकर जाएंगे।
- ए.बी. रोड महू, पीथमपुर से रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद जाने वाले मालवाही वाहन ए.बी. रोड से मानपुर, मानपुर-लेबड़ लिंक रोड होकर जाएंगे।
- ऐसे मालवाही वाहन जिन्हें लेबड़ घाटाबिल्लोद स्थित औद्योगिक इकाईयों में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जाना है, के लिए वे वाहनों का प्रवेश परमिट पुलिस चौकी प्रभारी घाटाबिल्लोद से प्राप्त किया जाकर उक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।
- उक्त क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के किनारे पर कोई भी खाली मालवाही वाहन खड़ा नहीं रखा जाएगा।

6. व्यापक लोक सुविधा को देखते हुए यात्री वाहन स्कूल बसें, उक्त क्षेत्र से संलग्न रहवासियों के वाहन तथा निर्माण एवं शासकीय प्रयोजन में संलग्न वाहन तथा दो पहिया वाहन उक्त क्षेत्र से आ-जा सकेंगे।

7. पुलिस अधीक्षक, जिला धार लेबड़ तिराहा, घाटा बिल्लोद तिराहा, (बेटमा-महू-घाटाबिल्लोद), (रतलाम लेबड़ धार) तथा पीथमपुर के पास ए.बी. रोड जंक्शन (मनाल चौपाटी) पर यातायात डायवर्सन की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्टॉपर, संकेतक, डायवर्सन, रिफ्लॉकिंग सिग्नल्स आदि की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/आयवीआरसीएल के द्वारा की जावेगी।

8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मानपुर की ओर से ट्राफिक आकर, मानपुर-इन्दौर की ओर मुड़ने के स्थान पर आवश्यक संकेतकों जो रात्रि में भी दिखाई दे सकेंगे की व्यवस्था की जाएगी।

9. पुलिस अधीक्षक जिला धार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर/उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर के माध्यम में बेटमा-घाटाबिल्लोद-लेबड़ से होकर धार, अहमदाबाद एवं रतलाम नीमच की ओर जाने वाले ट्राफिक को परिवर्तित मार्ग से यात्रा करने हेतु अनुरोध किया जाए।

10. उक्त प्रतिबंधों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार दैनिक समाचार-पत्रों एवं स्थानीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से सहायक संचालक, जनसम्पर्क, तहसीलदार धार द्वारा कराया जावे, ताकि वाहन स्वामियों को असुविधा न हो।

11. चूंकि उक्त सर्व साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश धारा 144 की उपधारा 2 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश के विक्षुब्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित एवं मौखिक में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 1-जी-विज्ञप्ति-सेल-6-वेतनमान-2013-861.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम-4 उपबंध-2, भाग-ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 43 चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 12000—375—16500 (पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 15600—39100+ग्रेड पे 7600), दिनांक 1-1-2006 से स्वीकृत करता है :—

क्र. (1)	चिकित्सा अधिकारी का नाम (2)	पदक्रम सूची में क्रमांक/वर्ष 1-4-2004 (3)	लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ नियमितिकरण वर्ष (4)	प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक (5)	(6)
1	DR. DEVENDRA KUMAR SHARMA	740	1983	171	1-1-2006
2	DR. MANOJ JAIN	741	1983	173	1-1-2006
3	DR. PANKAJ RASTOGI	742	1983	174	1-1-2006
4	DR. DEV DUTT SHARMA	745	1983	181	1-1-2006
5	DR. D.K. BHATNAGAR	746	1983	184	1-1-2006
6	DR. KU. C. A. SHAILI	747	1983	185	1-1-2006
7	DR. SURESH CHANDRA JAIN	750	1983	192	1-1-2006
8	DR. BASANT SHRIVASTAVA	751	1983	193	1-1-2006
9	DR. PRADEEP JOSHI	753	1983	204	1-1-2006
10	DR. D. K. KOHLE	756	1983	214	1-1-2006
11	DR. KRISHNA KANT SHARMA	756-A	1983	216	1-1-2006
12	DR. G. P. SINGH	757	1983	217	1-1-2006
13	DR. SMT. URMILA AGRAWAL	758	1983	218	1-1-2006
14	DR. OMKAR PRASAD SISODIYA	759	1983	219	1-1-2006
15	DR. H. RAHMAN	760	1983	220	1-1-2006
16	DR. M. K. KHERA	762	1983	222	1-1-2006
17	DR. A. K. DIXIT	763	1983	223	1-1-2006
18	DR. JAGDISH PRASAD KHARE	765	1983	227	1-1-2006
19	DR. IBAHADUR REHMAN KHAN	772	1983	249	1-1-2006
20	DR. SARAD GADRE	773	1983	251	1-1-2006
21	DR. M. M. BHARGAVA	778	1983	258	1-1-2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	DR. S. K. JAIN	780	1983	262	1-1-2006
23	DR. RAVINDRA KUMAR GARG	781	1983	263	1-1-2006
24	DR. S. KHANDELWAL	784	1983	267	1-1-2006
25	DR. M. K. JAIN	786	1983	274	1-1-2006
26	DR. S. P. S. RAGHUVANSHI	792	1983	296	1-1-2006
27	DR. K. C. DUBEY	794	1983	298	1-1-2006
28	DR. R. K. SHARMA	795	1983	300	1-1-2006
29	DR. JYOTSNA TIWARI	796	1983	301	1-1-2006
30	DR. A. K. DUBEY	797	1983	302	1-1-2006
31	DR. CHANDRA PRAKASH TIWARI	798-A	1983	307	1-1-2006
32	DR. R. C. KUKDE	799	1983	308	1-1-2006
33	DR. R. K. BAJAJ	800	1983	311	1-1-2006
34	DR. SURENDRA KUMAR SHRIVASTAVA	801	1983	315	1-1-2006
35	DR. A. K. SHIWANI	803	1983	319	1-1-2006
36	DR. U. S. THAKUR	805	1983	322	1-1-2006
37	DR. M. C. MANGAL	811	1983	336	1-1-2006
38	DR. SMT. NIRMALA JANGDE	813	1983	339	1-1-2006
39	DR. KU. PRAMODNI HARKE	814	1983	340	1-1-2006
40	DR. SMT. RUKHMANI NIDHAN	816	1983	342	1-1-2006
41	DR. ACHAL SILAWAT	820	1983	352	1-1-2006
42	DR. HAJARI LAL ARYA	822	1983	354	1-1-2006
43	DR. R. K. RAI	824	1983	357	1-1-2006

2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22-ए(2) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा। किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22-डी का लाभ देय नहीं होगा।

3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 12000—375—16500 (वर्तमान में 15600—39100+ ग्रेड-पे 7600) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए :—

- (1) चिकित्सा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाइजनॉन की गई हो तो उनकी प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
- (2) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जावेगा।
- (3) यदि प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
- (4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग-पत्र दे दिया हो तो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- (5) प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. 1-जी-विज्ञप्ति-सेल-6-वेतनमान-2013-910.—मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम-4 उपबंध-2, भाग-ख में किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित 104 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 10000—325—15200 (पुनरीक्षित वेतन बेंड 15600—39100+ग्रेड पे 6600), दिनांक 1 जनवरी 2006 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची में क्रमांक/वर्ष 1-4-2004	लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/ नियमितिकरण वर्ष	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DR. HARI SINGH RANA	1918	1987	1335	1-1-2006
2	DR. PRATAP CHAND ANAND	1920	1987	1447	1-1-2006
3	DR. R. AGARWAL	1921	1987	1449	1-1-2006
4	DR. P. K. SHRIVASTAV	1922	1987	1448	1-1-2006
5	DR. PRAHLAD SINGH THAKUR	1924	1987	1451	1-1-2006
6	DR. SANDHYA DAMLE	1925	1987	1336	1-1-2006
7	DR. G. S. DHAWAN	1927	1987	1338	1-1-2006
8	DR. SANJAY JAIN	1930	1987	1462	1-1-2006
9	DR. REMJI SULIA	1931	1987	1780	1-1-2006
10	DR. SMT. SAMTA DUBE	1936	1987	1005	1-1-2006
11	DR. K. S. THAKUR	1937	1987	1779	1-1-2006
12	DR. D. K. KHARE	1938	1987	1462	1-1-2006
13	DR. KU. ANITA CHANDRE	1940	1987	1464	1-1-2006
14	DR. ANAND SINGH	1942	1987	1082	1-1-2006
15	DR. S. K. JAIN	1943	1987	1468	1-1-2006
16	DR. VEERENDRA KUMAR DUBEY	1944	1987	1467	1-1-2006
17	DR. A. K. MISHRA	1945	1987	1469	1-1-2006
18	DR. MAHESH KUMAR DHAKAD	1946	1987	1341	1-1-2006
19	DR. KAMINI RANA	1947	1987	1470	1-1-2006
20	DR RAMGOPAL KOTIA	1949	1987	1342	1-1-2006
21	DR SMT. RENU CHUGH	1950	1987	1473	1-1-2006
22	DR. MADAN MESHRAM	1951	1987	1344	1-1-2006
23	DR. B. S. BARIA	1952	1987	1345	1-1-2006
24	DR. S. K. GUPTA	1953	1987	1599	1-1-2006
25	DR. JAYDEV SINGH PAWAR	1959	1987	1479	1-1-2006
26	DR. ANURAG JAIN	1961	1987	1472	1-1-2006
27	DR. H. N. NAYAK	1963	1987	1481	1-1-2006
28	DR. B. K. SAXENA	1966	1987	1485	1-1-2006
29	DR. D. C. GUPTA	1967	1987	1541	1-1-2006
30	DR. M. S. SIDDIQUI	1969	1987	1489	1-1-2006
31	DR. D. KARVADE	1971	1987	1492	1-1-2006
32	DR. SMT. VIDYA JODHAPUR	1972	1987	1494	1-1-2006
33	DR. J. P. PANDIT	1974	1987	1495	1-1-2006
34	DR. R. K. NEEMA	1976	1987	1502	1-1-2006
35	DR. B. P. KOLE	1980	1987	1506	1-1-2006
36	DR. PREMCHAND NOTWANI	1981	1987	1507	1-1-2006
37	DR. TARACHAND MESHRAM	1982	1987	1347	1-1-2006
38	DR. DINESH YADAV	1985	1987	1512	1-1-2006
39	DR. S. N. CHOUPAL	1986	1987	1349	1-1-2006
40	DR. RAJENDRA PRASHAD SHARMA	1987	1987	1516	1-1-2006
41	DR. ANIL KUMAR VARMA	1988	1987	1515	1-1-2006
42	DR. ARUN KUMAR TRIVEDI	1990	1987	1519	1-1-2006
43	DR. SUNIL JAIN	1991	1987	1520	1-1-2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	DR. S. L. SADIWAL	1992	1987	1352	1-1-2006
45	DR. A. K. GOUTAM	1993	1987	1521	1-1-2006
46	DR. SMT. TANUJA SAXENA	1994	1987	1522	1-1-2006
47	DR. ANIL KUMAR PANDEY	1995	1987	1523	1-1-2006
48	DR. SHAILENDRA KUMAR PALIWAL	1996	1987	1530	1-1-2006
49	DR. PRADEEP GUPTA	1999	1987	1525	1-1-2006
50	DR. SMT. USHA GROVER	2001	1987	1545	1-1-2006
51	DR. PRAMOD BARGAV	2002	1987	1526	1-1-2006
52	DR. VIJAY KISHORE TIWARI	2003	1987	1539	1-1-2006
53	DR. KAMLESH SHARMA	2004	1987	1527	1-1-2006
54	DR. H.S. AJMANI	2005	1987	1529	1-1-2006
55	DR. R. K. GUPTA	2007	1987	1331	1-1-2006
56	DR. R. S. GUPTA	2008	1987	1532	1-1-2006
57	DR. SMT. INDIRA GUPTA	2011	1987	1535	1-1-2006
58	DR. S. P. SHARMA	2012	1987	1537	1-1-2006
59	DR. ASHOK K. MALU	2016	1987	1543	1-1-2006
60	DR. MUKESH KUMAR JAIN	2017	1987	1542	1-1-2006
61	DR. MIS. AMITA SHRIVASTAV	2019	1987	1586	1-1-2006
62	DR. S. BANE	2022	1987	1356	1-1-2006
63	DR. SURESH KUMAR VERMA	2023	1987	1357	1-1-2006
64	DR. A. K. BHAGAT	2024	1987	1359	1-1-2006
65	DR. SMT. UMA PARMAR (ROKRE)	2025	1987	1591	1-1-2006
66	DR. KAUSHAL KUMAR BHATNAGAR	2027	1987	1555	1-1-2006
67	DR. SMT. A. MAHARAJA	2028	1987	1554	1-1-2006
68	DR. SMT. KALPNA SAXENA	2029	1987	1556	1-1-2006
69	DR. SMT. MADHU SAXENA	2033	1987	1559	1-1-2006
70	DR. SMT. M. ANDEO	2036	1987	1561	1-1-2006
71	DR. SMT. NEELAM SAXENA	2038	1987	1567	1-1-2006
72	DR. SMT. ARCHANA MISHRA	2039	1987	1569	1-1-2006
73	DR. V. K. GUPTA	2041	1987	1584	1-1-2006
74	DR. K. M. GOYAL	2042	1987	1572	1-1-2006
75	DR. SMT. NEETA JAIN	2045	1987	1573	1-1-2006
76	DR. JAGDEESH PRASAD NAYAK	2047	1987	361	1-1-2006
77	DR. R. K. DIXIT	2052	1987	1586	1-1-2006
78	DR. NARENDRA KUMAR RATHORE	2053	1987	1587	1-1-2006
79	DR. HEMANT KUMAR DWIVEDI	2055	1987	1588	1-1-2006
80	DR. ANAND SHARMA	2058	1987	1592	1-1-2006
81	DR. SHOBHA RANI DUBEY (MOITRA)	2061	1987	1594	1-1-2006
82	DR. ASHOK VERMA	2062	1987	1363	1-1-2006
83	DR. R. K. MISHRA	2063	1987	1681	1-1-2006
84	DR. ANIL JAIN	2067	1987	1603	1-1-2006
85	DR. SMT. SHEELA MEENA	2068	1987	1601	1-1-2006
86	DR. R. K. SHARMA	2069	1987	1608	1-1-2006
87	DR. AJAY NIGAM	2073	1987	1611	1-1-2006
88	DR. VIJAY AGARWAL	2077	1987	1711	1-1-2006
89	DR. ABAYRAJ SINGH	2078	1987	1365	1-1-2006
90	DR. RAMESH BHARGAVA	2080	1987	1632	1-1-2006
91	DR. M. H. MALIK	2081	1987	1616	1-1-2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	DR. V. C. GOYAL	2082	1987	1618	1-1-2006
93	DR. A. SAXENA	2083	1987	1617	1-1-2006
94	DR. RAMESHWAR PATIDAR	2089	1987	1623	1-1-2006
95	DR. RAGUNATH SATANKAR	2091	1987	1367	1-1-2006
96	DR. SATISH KUMAR SHARMA	2093	1987	1626	1-1-2006
97	DR. MAHENDRA GUPTA	2095	1987	1628	1-1-2006
98	DR. R. D. GAYAKWAR	2098	1987	1368	1-1-2006
99	DR. P. C. SWARNKAR	2099	1987	1633	1-1-2006
100	DR. KU. KASTURI UAIKE	2101	1987	473	1-1-2006
101	DR. SARAD HARNE	2102	1987	1370	1-1-2006
102	DR. ALKA NIKHAR	2103	1987	1630	1-1-2006
103	DR. ASHOK LILHARE	2104	1987	1631	1-1-2006
104	DR. G. K. JAIN	2106	1987	1634	1-1-2006

2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम 22-ए(2) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा। किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22-डी का लाभ देय नहीं होगा।

3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 10000—325—15200 (वर्तमान में 15600—39100+ ग्रेड-पे 6600) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए :—

- (1) चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक के पूर्व की 05 वर्ष की सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- (2) यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये।
- (3) यदि वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
- (4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग-पत्र दे दिया हो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- (5) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य पद का अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति से पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया जाये।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

शैलबाला मार्टिन, अपर संचालक (प्रशासन)।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)
(स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टोरेट-रायसेन)

रायसेन, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 128-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92), भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 10-औबेदुल्लागंज, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1. श्री तेजसिंह नागर आ. श्री मूलचंद नागर
निवासी ग्राम इटायाकलां, तहसील गौहरगंज,
जिला-रायसेन. | प्रतिनिधि-विधायक | धारा-11 (1) घ |
| 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, औबेदुल्लागंज | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 3. श्रीमति गुरनाम कौर पल्लि श्री सुरजीत सिंह,
वार्ड नं.-13, बालबिहार, औबेदुल्लागंज,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक,
रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 4. श्री रामकिशौर शर्मा आ. श्री गंगाप्रसाद शर्मा,
निवासी औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-सहकारी विपणन
एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित,
औबेदुल्लागंज. | धारा-11 (1) |

क्र. 129-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 11-रायसेन, के लिये नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|--|--|---------------|
| 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सांची | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 2. श्री पैजन सिंह आ. श्री तोरन सिंह,
निवासी ग्राम पठारी, तहसील व जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन. | धारा-11 (1) झ |

क्र. 130-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 12-बेगमगंज, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 1. श्री अरविन्द सिंह बुन्देला आ. कुंवर श्री महेन्द्र सिंह,
ग्राम चांदोडा, ग्राम पंचायत खमरिया तालुका कोठीखोह,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-विधायक | धारा-11 (1) घ |
| 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बेगमगंज | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 3. श्री आशीष कुमार आ. श्री हजारीलाल,
निवासी बेगमगंज. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 4. श्री दिग्विजय सिंह आ. श्री राजकुमार सिंह यादव,
निवासी ग्राम गोपई, ग्राम पंचायत पंदरभटा,
पंच वार्ड क्र.-3, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन | धारा-11 (1) त्र |

क्र. 131-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 13-बरेली, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बरेली | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 2. श्री अरुण सिंह आ. श्री रविन्द्र सिंह,
निवासी ग्राम बिसेर, पोस्ट सनखेड़ा
तहसील बरेली, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक,
रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 3. श्रीमति रामसिया राजेन्द्र पटेल पत्नि श्री राजेन्द्र पटेल,
ग्राम पिपलिया करनसिंह, पोस्ट कामतोन,
तहसील बरेली, जिला रायसेन (जिला पंचायत सदस्य
वार्ड क्र.-12). | प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन | धारा-11 (1) त्र |

क्र. 132-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 14-गैरतगंज, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम-निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|--|--|-----------------|
| 1. श्री लालजी ठाकुर,
निवासी ग्राम हैनौतियाखास,
तहसील गैरतगंज, जिला-रायसेन. | प्रतिनिधि-विधायक | धारा-11 (1) घ |
| 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गैरतगंज | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 3. श्री विजयराम आ. श्री उमराब,
निवासी ग्राम सांकल, पोस्ट मुडियाखेड़ा,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 4. श्री कल्याण सिंह उर्फ रामबाबू लोधी आ.
श्री भंवरलाल, निवासी ग्राम चांदपुर,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.
(जिला पंचायत सदस्य). | प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन | धारा-11 (1) त्र |

क्र. 133-स्था.निर्वा.-मण्डी निर्वा.-2013.—अपर संचालक (निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निर्वाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 15-उदयपुरा, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उदयपुरा | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 2. श्री शंकरसिंह आ. श्री भूरेसिंह,
ग्राम थाला, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 3. श्रीमति ऊषा त्रिलोकपाल सिंह पत्नि
श्री त्रिलोकपाल सिंह, ग्राम कैलकच्छ,
पोस्ट अनघोरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.
(जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्र.-10). | प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन | धारा-11 (1) त्र |

क्र. 134-स्था.निवा.-मण्डी निवा.-2013.—अपर संचालक (निवाचन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक-मण्डी निवाचन (बी-6-2012-01-92) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा-11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति 246-सिलवानी, के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

- | | | |
|--|--|-----------------|
| 1. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिलवानी | प्रतिनिधि-कृषि विभाग | धारा-11 (1) च |
| 2. श्री गमेरसिंह आ. बेस्ता,
निवासी ग्राम झुंगरिया, पोस्ट कुण्डाली,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन. | प्रतिनिधि-जिला सहकारी कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक, रायसेन. | धारा-11 (1) झ |
| 3. श्री महेन्द्रपुरी गोस्वामी आ. श्री रामपुरी,
ग्राम पड़रियाकलां, पोस्ट कुण्डाली,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.
(जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्र.-8). | प्रतिनिधि-जिला पंचायत, रायसेन | धारा-11 (1) त्र |

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. मण्डी-समिति गठन-2013-498.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम क्रमांक (2) में उल्लेखित मण्डी के लिए कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी संस्था का नाम समिति का क्रमांक	व नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम	प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	35-मुलताई	विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि.	श्री जगदीश कोडले, सुभाष वार्ड, मुलताई.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) अन्तर्गत.
2		सहकारी विपणन सोसायटी प्रतिनिधि.	श्री मनीष व. सुभाष खन्ना, ताप्सि विप. सहकारी संस्था मर्या., मुलताई.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ड) अन्तर्गत.
3		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री आर. जी. वानखेड़े, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि मुलताई.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(च) अन्तर्गत.
4		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि	श्री संजय माथनकर, संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., बैतूल.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) अन्तर्गत.
5		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री सदन कुमार आर्य, अध्यक्ष, जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बैतूल.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(झ) अन्तर्गत.
6		पंचायत का प्रतिनिधि	श्री प्रमोद धोटे, जनपद सदस्य, मुलताई.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) अन्तर्गत.

राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त बैराड़-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बैराड़-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को समाविष्ट करते हुए, एक नवीन तहसील बैराड़ का सृजन करती है, जिसमें कुल 41 पटवारी हल्के तथा 114 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय बैराड़ में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-02-2010-सात-6, दिनांक 9 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव।

Bhopal, the 9th July 2013

No. F-01-02-2010-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Pohri, District Shivpuri from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad-1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 Revenue Circle Pohri-2 and creates a new Tehsil Berad comprising of Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad-1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 of Revenue Circle Pohri-2, in which the total Patwari Halkas shall be 41 and Villages shall be 114. The headquarter of the said Tehsil shall be a Berad.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. एफ. 31-07-2013-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर जिले की पाटन तहसील में स्थित 4 जल उपभोक्ता संस्थाओं क्रमशः मजीठा, महगंवा, नटवारा एवं गुबराकला की प्रबंध समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि में उनकी पदावधि के अवसान की तारीख अर्थात् 05 जून 2013 से छः मास की कालावधि दिनांक 04 दिसम्बर 2013 तक के लिये वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. रवि, अवर सचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्र. 1393-प्रका.-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सोनवर्धा कोठार	1.480	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 24 जून 2013

क्र. 1401-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठर	कोठर कोठार	3.90	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर और मेहुती सब-माइनर एवं उसकी सीमा में आनेवाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1403-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेंहुती	1.385	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग	1.385		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1405-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	डगडीहा कोठार	6.50	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग	6.50		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1407-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराज नगर	सेमरा	1.058 योग 1.058	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1409-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराज नगर	कुंआ कोठार	3.50 योग 3.50	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 26 जून 2013

क्र. 1421-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	टिकरी खाम कोठार	0.832 _____ योग 0.832	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मेंहुती सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1423-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवरा कोठार	0.500 _____ योग 0.500	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1425-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बरा पैपखार कोठार	0.400 <hr/> योग <u>0.400</u>	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1427-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महदेवा पैपखार	0.300 <hr/> योग <u>0.300</u>	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बेलरी माइनर और सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1429-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	इटौर कोठार	0.816	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की उमरी माइनर और बम्होरी माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग	<u>0.816</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1431-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अकौना कोठार	0.765	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की बम्होरी सब माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग	<u>0.765</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1437-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी जागीर	1.67	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की माइनर एवं सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग	1.67	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र. 1433-प्रका. भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अनन्तपुर	0.06	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बोदा वितरक नहर की अजगरहा माइनर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र. 1435-प्रका. भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पिपरा	1.40	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की माइनर एवं सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग 1.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 22 जून 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्द्रगढ़	बरा बुजुर्ग	1.175	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राइटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु,

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्द्रगढ़	कुलैथ	5.775	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्द्रगढ़	श्यामपहाड़ी	3.375	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्द्रगढ़	जौनियां	1.30	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्राब्यूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्दरगढ़	चक बैना	5.80	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रायूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्दरगढ़	जसवन्तपुर	2.85	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रायूटरी संभाग क्रमांक 9, दतिया (म. प्र.)	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भौंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 24 जून 2013

क्र. 01-अ-82-2012-13 प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

जिला	तहसील	ग्राम	ख. नं.	अनुसूची			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				कुल	अर्जित	धारा 4 की उपधारा (2)	
				रक्वा	किया	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
रायसेन	रायसेन	कायमपुर	220	2.024	2.024	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक	हलाली परियोजना के जल
			206/2	1214	1214	सागर संभाग क्रमांक 2 विदिशा.	स्तर को बढ़ने हेतु भू-अर्जन.
			206/3	1619	1619		
			206/1	1214	1214		
		योग . .	6.071	6.071			
		नीनोद	331/3	1.007	1.007		
		महायोग .	7.078	7.078			

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 25 जून 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13-629.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
		(1)	(2)	(3)	(4)
दमोह	पथरिया	खौजाखेड़ी	0.72	(5)	(6)
		योग .	0.72	संभागीय प्रबंधक म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट बी.ओ.टी. (टोल+एन्जूटी) कार्पोरेशन लिमि. सागर.	योजनांतर्गत दमोह-पथरिया-गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत्।

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह, संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 27 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2013-14-660.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन प्रस्तावित रकम (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	ढोढा	417	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई
			243	0.430	संभाग, डिण्डौरी.	परियोजना शीर्ष कार्य.
			251	0.750		
			464	0.840		
			466	0.570		
			430	0.010		
			471	0.880		
			499/2	0.140		
			440/1	0.390		
			440/2	0.600		
			440/3	0.380		
			440/4	0.220		
			477	0.820		
			470/1	0.360		
			365	0.010		
			492	0.360		
			472/1	0.140		
			472/3	0.100		
			497/1	0.010		
			474/1	0.130		
			472/2	0.840		
			474/2	0.110		
			161/1	0.370		
			470/6	0.400		
			493	0.500		
			384/1	0.350		
			384/2	0.350		
			384/3	0.350		
			384/4	0.120		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			384/5	0.720		
			384/6	0.120		
			384/7	0.120		
			413/4	0.040		
			123/1	0.060		
			123/2	0.170		
		योग . .		<u>12.680</u>		
		शासकीय भूमि		<u>0.000</u>		
		कुल योग		<u>12.680</u>		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2013-14-661.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगढ़ा	264/3	0.730	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बिलगढ़ाव जलाशय मध्यम सिंचाई
			264/4	0.730	संभाग, डिण्डौरी।	परियोजना शीर्ष कार्य।
			250	2.020		
			114/2	0.120		
			129	2.200		
			106/5	0.060		
			29/2	0.200		
			38/4	0.660		
			योग	<u>6.720</u>		
		शासकीय भूमि		<u>0.000</u>		
		कुल योग		<u>6.720</u>		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2013-14-662.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके

द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन प्रस्तावित रकम (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बिलगांव	566/4	0.280	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य (स्पिल चैनल).
			566/3	0.160		
			566/6	0.260		
			602	0.300		
			566/5	0.280		
			655/3	0.060		
		योग		<u>1.340</u>		
		शासकीय भूमि		<u>0.000</u>		
		कुल योग		<u>1.340</u>		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 12 जून 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-150.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	पोहरी	सापरवाड़ा	296	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.
			299	0.03		
			300	0.08		
			301	0.07		
			302	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		303	0.06		
		305/1	0.01		
		305/2	0.01		
		306	0.16		
		307	0.52		
		309	0.10		
		310	0.13		
		311/1	0.02		
		318	0.06		
		319	0.06		
		320	0.07		
		321	0.06		
		322	0.05		
		323	0.11		
		324	0.05		
		325	0.08		
		326	0.03		
		419	0.04		
		421/1	0.24		
		421/2	0.23		
		421/3	0.23		
		424	0.32		
		425	0.22		
		430	0.50		
		431	0.08		
		432	0.38		
		436	0.04		
		516/2	0.45		
		516/3	0.95		
		516/4	1.00		
		516/5	0.70		
		516/7	0.60		
		516/8	0.60		
		517/7	0.07		
		517/8	0.30		
		517/9	0.60		
		517/10	0.01		
		517/11	0.60		
		517/12	0.20		
		517/13	1.00		
		517/14	0.50		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			517/15	0.15	
			517/16	0.60	
			518	0.54	
			520	0.31	
			521	0.03	
			522	0.28	
			523	0.27	
			524	0.19	
			525	0.13	
			526	0.14	
			529	0.11	
			531	0.09	
			532	0.19	
			533	0.39	
			534	0.76	
			535	0.17	
			536	0.09	
			537	0.16	
			538	0.28	
			539	0.19	
			540	0.25	
			541	0.89	
			542	0.42	
			544	0.61	
			545	0.16	
			547	0.61	
			548	0.61	
			549	0.12	
			550	1.68	
			551	0.30	
			552	0.88	
			553	0.54	
			555	0.33	
			557	0.28	
			558	0.52	
			560	0.50	
			कुल योग . .	<u>25.47</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 28 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-568.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर या ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण		
			प्रस्तावित क्षेत्रफल					
			खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
शिवपुरी	पिछोर	बामौरडामरौन	3	2.73	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	टीला तालाब के निर्माण हेतु.		
			6	2.38				
			8	0.44				
			9	0.32				
			20	0.50				
			21	0.42				
			22	1.00				
			119	0.10				
			121	0.31				
			122	0.18				
			337	0.05				
			338	0.15				
			340	0.07				
			342	1.32				
			343	0.11				
			344	0.70				
			345	0.15				
			354/1	0.60				
			354/2	0.60				
			354/3	1.74				
			355/1	0.60				
			355/2	0.23				
			355/3	0.10				
			356	0.23				
			357	0.97				
			358	8.05				
			359	3.59				
			360	1.57				
			361	0.24				
			362	0.09				
			363	0.19				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			365	3.68	
			460	0.25	
			492	3.68	
			493	1.04	
			495	0.11	
			496	0.81	
			497	0.34	
			500	2.20	
			517	4.27	
			519	1.83	
			520	1.73	
			521	3.88	
			522	0.33	
			523	0.08	
			524	1.17	
			551	0.19	
			कुल योग . .	<u>55.32</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-125.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल नम्बर	रकमा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	देवरीकला	461	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	पचीपुरा तालाब निर्माण
			474	0.03	संभाग, शिवपुरी.	कार्य.
			476	0.04		
			477	0.04		
			478	0.02		
			480	0.07		
			484	0.19		
			485	0.08		
			486	0.01		
			487	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		488	0.14		
		490	0.10		
		491	0.46		
		492	0.17		
		493	0.33		
		583	0.01		
		584	0.70		
		586/2	0.10		
		597	0.74		
		598	0.08		
		619	0.41		
		620	0.14		
		621	0.05		
		622	0.17		
		623	0.04		
		625	0.04		
		626/1	0.11		
		626/2	0.08		
		628	0.04		
		629	0.03		
		645	0.08		
		646	0.08		
		647	0.02		
		649	0.09		
		651	0.20		
		653	0.05		
		654	0.03		
		659	0.01		
		660	0.07		
		661	0.07		
		662	0.19		
		663	0.05		
		665	1.05		
		667	0.44		
		668	0.03		
		672	0.10		
		676/1	0.04		
		676/2	0.03		
		677/1	0.07		
		677/2	0.07		
		684	0.05		
		685	0.30		
		686	0.15		
		688	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		689	0.33		
		690	0.13		
		691/1	0.05		
		691/2	0.10		
		693	0.03		
		732	0.06		
		733	0.27		
		735	0.50		
		749/952	0.21		
		749/953	0.55		
		750	0.28		
		751	1.31		
		752	0.80		
		753	1.70		
		754	1.42		
		755	0.30		
		756	0.57		
		757	1.28		
		758	0.38		
		764/944	0.01		
		766	0.86		
		767	0.37		
		768	0.65		
		770	0.10		
		771	0.02		
		774	0.47		
		779	0.73		
		780	0.95		
		782/1	0.63		
		782/2	0.06		
		783	0.28		
		785	0.18		
		786	0.68		
		788	0.54		
		789	1.30		
		790/1	1.14		
		790/2	0.30		
		791	0.70		
		792	0.28		
		793	1.44		
		794	0.97		
		796	0.22		
		797	0.31		
		798	0.61		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		799	0.68		
		800	0.48		
		801	0.45		
		802	0.33		
		803	0.10		
		806	0.39		
		807	0.47		
		808	0.63		
		809/954/1	0.80		
		809/954/2	0.80		
		809/954/3	0.01		
		809/956/1	0.24		
		809/956/2	0.22		
		809/956/3	0.60		
		809/956/4	0.33		
		809/1क	1.00		
		809/957	0.22		
		809/958	0.21		
		809/9	1.20		
		809/10	0.55		
		809/12	0.03		
		809/13ख	0.06		
		809/13ग	0.01		
		809/13घ	0.16		
		809/14	1.00		
		809/15	1.50		
		809/16	0.05		
		809/20	0.04		
		809/21	0.75		
		809/22	0.80		
		809/23	0.79		
		809/24	0.86		
		810	0.38		
		811	0.34		
		813	0.25		
		815	0.16		
		816	0.15		
		818	0.40		
		819	1.43		
		820	0.09		
		821	0.09		
		822	0.20		
		823	0.43		
		825	0.33		
		828	0.50		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			831	0.63	
			832	0.21	
			833	0.04	
			834	0.10	
			835	0.03	
			836	0.03	
			838	0.27	
			839	0.05	
			840	0.09	
			841	0.07	
			842	0.09	
			843	0.01	
			846	0.08	
			848	0.23	
			854	0.16	
			856	0.09	
			कुल योग . .	54.67	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-127.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल नम्बर	रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	मडरका	3	1.44	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	पचीपुरा तालाब निर्माण
			4	0.65	संभाग, शिवपुरी.	कार्य.
			5	0.01		
			6	0.02		
			7	0.01		
			12	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	0.03		
		21	0.01		
		22	0.01		
		23	0.02		
		31	0.01		
		32/1	0.01		
		32/2	0.01		
		33	0.23		
	किता	35/1	0.04		
		35/2	0.02		
		35/3	0.03		
		35/4	0.03		
		47	0.01		
		48	0.03		
		49/1 क	0.04		
		49/1ख	0.08		
		49/2	0.20		
		52/1	0.16		
		52/2	0.16		
		53	0.21		
		54	0.09		
		55/1	0.20		
		68	0.02		
		69/1क	0.16		
		69/1ख	0.15		
		69/2	0.31		
		71	0.16		
		72	0.41		
		73	0.16		
		74	0.20		
		75	0.09		
		77/1	0.01		
		93	0.02		
		94	0.40		
		95	0.60		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			97/1	0.03	
			97/2	0.05	
			102/1	0.18	
		योग . .		6.73	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2013-13-921.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा अर्जित क्षेत्रफल		
			नम्बर	(हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	करैरा	खैराई	38/7	0.750	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	टीला तालाब के निर्माण
			38/8	0.500	संभाग, शिवपुरी.	हेतु।
			38/9	1.000		
			38/10	0.110		
			38/11	0.100		
			40	7.580		
			44	0.470		
			46	0.510		
			333	3.060		
			336	0.250		
			337/1	0.150		
			337/2	0.300		
			341/1	0.650		
			343	0.830		
			344/मिन/1	1.000		
			346	0.380		
			347/1	0.980		
			347/2	1.970		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		348	0.930		
		349	0.670		
		350/1	0.700		
		350/2	0.800		
		351	8.880		
		352	1.670		
		354	2.530		
		355	2.210		
		356	2.810		
		376	0.700		
		377	1.380		
		380	1.070		
		381	5.810		
		382	0.550		
		383	0.460		
		384	0.100		
		385	1.100		
		387	0.440		
		388	0.330		
		389	1.450		
		390	0.460		
		391	0.560		
		392	0.320		
		394	0.960		
		396	1.270		
		397	0.420		
		398	0.640		
		399	1.030		
		400	1.950		
		कुल योग .	<u>62.790</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-109.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की अनुसूचित के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—शुजालपुर
- (ग) ग्राम—रूगनाथपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.372
(रूगनाथपुरा तालाब, अधिग्रहण पूरक प्रकरण)

खसरा	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
2526/2	0.372
योग.	<u>0.372</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रूगनाथपुरा तालाब सिंचाई योजना क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन।

नोट—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 4082-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस

बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं., सिवनी
- (ग) ग्राम—लखनबाड़ा, ब. नं. 532, प.ह.नं.-84
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.731 हे.

ख. नं.	अर्जित रकमा
अशासकीय	भूमि
(1)	(2)
265	0.507
266	0.224
योग.	<u>0.731</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

संशोधित उद्घोषणा

देवास, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-11-12-1022.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-1 के पृष्ठ क्र. 216-217 दिनांक 18 जनवरी 2013 को प्रकाशित कुलाला नहर हेतु भूमि अधिग्रहण की उद्घोषणा में, टेबल में क्र. 7 में अंकित भूमि खसरा क्र. 29 पै. के स्थान पर

टंकण त्रुटिवश 28 अंकित हो गया था. अतः खसरा क्र. 28 पै. के स्थान पर 29 पै. पढ़ा जावे:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
- (ख) तहसील—सोनकच्छ
- (ग) ग्राम—कुलाला
- (घ) क्षेत्रफल—1.07 हे.

स. क्र.	भूमि खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)
(1)	(1)	(2)
1	11 पै.	0.18
2	12 पै.	0.22
3	19 पै.	0.28
4	21/2 पै.	0.05
5	22/2 पै.	0.06
6	23 पै.	0.02
7	29 पै.	0.23
8	34/1 पै.	0.03
योग . .		1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बुदासा तालाब की नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने से.

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—पाटन

(ग) ग्राम—उडना (बंदो. नं. 212, प.ह.नं. 32/73)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.27 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
285	0.08
284/2	0.07
279	0.45
278	0.05
8	0.20
7	0.17
3/2	0.02
3/3	0.09
482	0.06
1/1, 3	0.09
योग . .	1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सुरहिया-सिमरिया-पड़रिया-धमनी-सिंगौरी मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13-भू-अर्जन..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—पाटन
- (ग) ग्राम—बढ़ैयाखेडा (बंदो. नं. 269, प.ह.नं. 32/69)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.088 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
56	0.01
69/1	0.001
118	0.01

(1)	(2)	यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
53/1	0.004	अनुसूची
119/1	0.03	
119/2	0.04	(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन
54	0.05	(क) जिला—दमोह
217/2	0.05	(ख) तहसील—दमोह
214	0.004	(ग) ग्राम—तिदौनी, प.ह.नं. 10/15, परसौरिया, प.ह.नं. 9/14
181/2	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.42 हेक्टर.
182	0.04	खसरा रकब नंबर (हेक्टर में)
183	0.09	(1) (2)
202/1	0.10	ग्राम—तिदौनी, प.ह.नं. 9/14
184	0.04	
201/1	0.08	
200	0.04	247 0.08
169	0.10	242/2 0.03
197/1	0.07	246/2 0.08
168	0.13	242/375 0.02
196	0.05	261/2 0.06
187	0.07	261/1 0.03
186/1	0.07	योग . . 0.30
	योग . . 1.088	

ग्राम—परसौरिया, प.ह.नं. 9/14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सुरहिया-सिमरिया-पड़रिया-धमनी-सिंगौरी मार्ग।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 जून 2013

क्र. क-भू-अ.वि.अ.-2012-13-610.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

34	0.01
35	0.05
36	0.02
37/2	0.01
38	0.03
योग . .	0.12
कुल योग . .	0.42

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी.ओ.टी. (टोल-एन्जूटी) योजनांतर्गत दमोह-पथरिया-गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत, के कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

दमोह, दिनांक 24 जून 2012

पत्र क्र. 614-क-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—जबेरा
- (ग) ग्राम—विजयसागर, प.ह.नं. 6/53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि—17.22 हे.

खसरा	अर्जित रकम
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
212	1.00
223/2	1.20
224/1	0.40
226/1	0.10
230	1.25
233	0.05
232	0.15
246	0.80
242/1	0.20
245	0.40
247	1.00
257/1	0.60
258/1	0.28
273/1	1.39
273/2	1.38
273/4	1.20
273/5	0.56
273/9	1.20
273/10	0.40
273/11	0.55
273/12	0.55
274	0.34
348/2	0.50
240/1	0.05
213	0.50
214	0.25
231	0.44
243	0.08
279/7	0.40
योग . .	17.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भिन्नैनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र, स्पिल चेनल एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13-पत्र क्र. 408-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
- (ख) तहसील—करेली
- (ग) ग्राम—करेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—97.994 वर्गफुट.

खसरा	अर्जित रकम
नम्बर	(वर्गफुट)
(1)	(2)
346/1	4792
346/9	2831
347/5	10672
109/1	5379
109/2	246
109/3	646
109/4	258
109/10	246
108/1	5009
108/4	5196

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—उमरी (घ) क्षेत्रफल लगभग — 1.945 हे.
108/5	5438	
108/3	5336	खसरा
107/2	7950	नम्बर
111/1	8276	(1)
114/2	2614	207
114/1	14810	208
115	10454	209
116/4	7841	210
योग . .	<u>97994</u>	211
		0.091
		213
		0.028
		214
		0.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—एन.एच. 26 में रेलवे क्रासिंग के पास अण्डर ब्रिज निर्माण में पहुंच मार्ग हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84, भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 जून 2013

क्र. 1412-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—उमरी (घ) क्षेत्रफल लगभग — 1.945 हे.	रकबा (हे. में)
207	0.034
208	0.029
209	0.037
210	0.028
211	0.091
213	0.028
214	0.034
215	0.076
295	0.003
296	0.080
300	0.011
301	0.029
304	0.012
305	0.011
306	0.026
307	0.072
308	0.022
313	0.028
314	0.120
315	0.005
316	0.024
317	0.030
318	0.045
319	0.064
320	0.007
326	0.016
327	0.034
328	0.073
329	0.016
330	0.034
331	0.034
332	0.034
334	0.056
336	0.045

(1)	(2)	खसरा	अर्जित रकमा	
			अशासकीय (हे. में.)	शासकीय (हे. में.)
		(1)	(2)	
337	0.022			
338	0.056			
339	0.011			
340	0.101	45	0.215	—
341	0.022	46	0.006	—
350	0.017	48	0.053	—
351	0.014	49	0.019	—
356	0.123	59	0.050	—
357	0.014	61	0.079	—
358	0.016	62	0.061	—
359	0.033	63	0.066	—
1074	0.016	65	0.043	—
1075	0.003	66	0.043	—
1083	0.179	91	0.081	—
1084	0.017	102	0.047	—
1085	0.013	103	0.164	—
योग . .	<u>1.945</u>	104	0.096	—
मध्यप्रदेश शासन	<u>Nil</u>	105	0.028	—
महायोग . .	<u>1.945</u>	131	0.026	—
		150	0.015	—
		151	0.031	—
		160	0.006	—
		161	0.041	—
		162	0.006	—
		163	0.010	—
		166	0.069	—
		171	0.035	—
		174	0.065	—
		175	0.040	—
		182	0.098	—
		183	0.014	—
		205	0.076	—
		योग . .	<u>1.583</u>	—
		म. प्र. शासन	<u>निरंक</u>	—
		महायोग	<u>1.583</u>	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना, सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर नं. 2 के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1415-भू-अर्जन-कार्य-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर नं. 3 के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1417-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—दुलहरा (दुलहरा सब माइनर नं. 5)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.616 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा (हे. में.)	(1)	(2)	(1)	(2)
634	0.045	1704	0.028	1282	0.305
638	0.083	1705	0.028	1610	0.018
639	0.014	1707	0.024	1619	0.006
640	0.035	1708	0.025	1620	0.007
641	0.035	1709	0.010	1621	0.017
696	0.077	1742	0.129	1624	0.019
708	0.090	1743	0.010	1625	0.014
709	0.067	1745	0.010	1626	0.017
710	0.067	1746	0.053	1671	0.072
715	0.048	1755	0.053	1672	0.085
716	0.077	1756	0.029	1673	0.072
718	0.060	1762	0.032	1677	0.128
781	0.026	1763	0.038		
783	0.048	1764	0.038		
828	0.048	1894	0.072		
829	0.092	1915	0.168		
830	0.110	1917	0.005		
831	0.040	1936	0.010		
832	0.035	1937	0.012		
834	0.004	1938	0.048		
835	0.052	1939	0.030		
850	0.010	1942	0.139		
1259	0.059	1765	0.015		
1260	0.210	1766	0.055		
1271	0.057			योग	3.723
1272	0.020				
1273	0.090				
1274	0.015	690	0.040		
1281	0.210	691	0.058		
		692	0.077		

मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)
833	0.020
1257	0.064
1258	0.032
1265	0.003
1284	0.288
1286	0.020
1622	0.158
1675	0.091
1912	0.014
1916	0.028
शासकीय योग . .	<u>0.893</u>
अशासकीय योग . .	<u>.3.723</u>
महायोग . .	<u>4.616</u>

(ग) नगर/ग्राम—गूजरखेड़ी का पुरा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.418 हेक्टेयर.	
सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
135 में से	0.418
योग . .	<u>0.418</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं.-5 के अन्तर्गत आगे वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 26 जून 2013

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13-गूजरखेड़ी का पुरा-328.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13-मदागनमाफी-330.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज
- (ग) नगर/ग्राम—मदागनमाफी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.418 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
392/10 में से	0.418
योग . .	<u>0.418</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13-वापचा वीरान-332.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज
- (ग) नगर/ग्राम—वापचा वीरान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.627 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1/1 में से	0.418
6/4 में से	0.209
योग . .	<u>0.627</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13-तलाबडा-सानई-334.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज

- (ग) नगर/ग्राम—तलाबडा-सानई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.372 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93 मिन 1	1.881
98	0.491
योग . .	<u>2.372</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13-सानई-336.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज
- (ग) नगर/ग्राम—सानई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.806 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
326 में से	1.636
327	1.170
योग . .	<u>2.806</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजना शेष छूटी भूमियों का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चॉचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13-बरखेड़ासफा-338.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—गुना
- (ग) नगर/ग्राम—बरखेड़ासफा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.858 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
236/2 ग में से	0.136
236/2 च में से	0.314
236/2 ड में से	0.293
236/27 में से	1.000
319/2 में से	0.115
योग . .	<u>1.858</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सफा बरखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13-अमरोद-340.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—बमोरी

(ग) नगर/ग्राम—अमरोद	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.213 हेक्टेयर.	
सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/20/2 में से	0.031
13/42 में से	0.136
13/47 में से	0.972
12/38 में से	0.391
12/47 में से	0.683
योग . .	<u>2.213</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मसरिया डायवर्सन फीडर योजना.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 811.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—करैरा
- (ग) नहर/ग्राम—दांगीपुरा
- (घ) कुल क्षेत्रफल—3.63 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.) (2)
94	0.07
95 मिन 1	0.97

(1)	(2)	(1)	(2)
100 मिन 1	0.34	151/2	0.16
119	0.21	172	0.13
126	0.18	174	0.14
117	0.18	175	0.03
118	0.09	190	0.02
146 मिन 1	0.47	191	0.20
128	0.07	197/2	0.07
129	0.25	198	0.02
130	0.17	202	0.38
132	0.03	203	0.53
133	0.06	204	0.26
134 मिन 1	0.12	206	0.16
135 मिन 2	0.12	207	0.11
243 मिन 2	0.30	208	0.07
योग.	<u>3.63</u>	210	0.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना, मंडीखेड़ा बांध निर्माण हेतु झूब क्षेत्र।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 22 जून 2013

क्र. क्यू.—भू-अर्जन-2013-165.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि			
(क) जिला—शिवपुरी		246	0.04
(ख) तहसील—पोहरी		247	0.06
(ग) नगर/ग्राम—अमरोदा शुक्ल		250	0.12
(घ) लगभग क्षेत्रफल—54.30 हेक्टर।		251	0.02
सर्वे अर्जित रकमा		253	0.06
नम्बर (हेक्टर में)		254	0.03
(1) (2)		255	0.02
145/2 0.60		256	0.05
150 0.85		257	0.28
151/1 0.50		263	0.17
		264	0.06
		265	0.04
		267	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
268	0.69	348/3	0.77
269	0.20	348/4	1.00
271	0.05	348/5	1.00
272	0.60	349	2.00
273	0.33	350	2.00
274	0.70	351	1.30
276	0.10	352	0.50
278	0.90	353	2.00
280	0.75	354	1.34
281	0.32	355/1	2.06
282	0.26	355/2	2.08
287	0.40	355/3	2.07
289	2.00	योग . .	<u>54.30</u>
290	0.35		
293	0.19		
294	0.19		
295	0.17		
296	0.17		
300	0.23		
301	0.20		
303	0.43		
305	0.14		
307	0.40		
310	0.20		
314	0.25		
316	0.40		
317	0.45		
319	0.40		
320	1.75		
321	1.50		
323	1.50		
324	0.15		
325	0.15		
328	0.08		
329	0.26		
330	0.22		
334	1.20		
335	3.00		
339	1.15		
342	0.98		
343	1.15		
344	0.08		
345	1.25		
348/2	1.00		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2013-171.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—पोहरी

(ग) नगर/ग्राम—हरियाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.64 हेक्टर।

सर्वे अर्जित रकमा
नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

401/1ग 0.01

401/1घ 0.75

404/1ड 0.54

(1)	(2)
404/1श्व	0.08
405	1.20
407	0.49
408	0.30
409	0.27
योग . .	<u>3.64</u>

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2013-183.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना,
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-2013-176.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि
 (क) जिला—शिवपुरी
 (ख) तहसील—पोहरी
 (ग) नगर/ग्राम—पच्चीपुरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.33 हेक्टर।

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
 (ख) तहसील—पोहरी
 (ग) नगर/ग्राम—एनपुरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.96 हे.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
182/1	1.00
182/2	1.00
619/1	0.09
620/2	0.67
620/3	0.57
योग . .	<u>3.33</u>

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
319/1	0.02

448	0.02
451	0.03
456	0.05
475	0.01
477	0.01
478	0.04
479	0.21

487	0.15
492	0.02

493	0.11
494	0.04
495	0.12
496	0.04
497	0.15

498	0.15
501	0.34
503	0.04
505	0.04
509	0.08

510	0.05
-----	------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना,
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

(1)	(2)	(3)	आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
511	0.23		
512	0.22		
513	0.06		
516	0.06		अनुसूची
518	0.22		(1) भूमि का वर्णन—
519	0.23		(क) जिला—नीमच
521	0.02		(ख) तहसील—सिंगोली
522	0.01		(ग) नगर/ग्राम—कवई खेड़ा मौका 2.904 का डोल विरान
525	0.07		9.961 0.249
526	0.08		
526/546	0.01		(घ) क्षेत्रफल—कुल रकबा 13.114
527	0.52		
531	0.10		
536/1	0.10		
540/1	0.12		
542	0.39		
543	0.60		
544	1.20		
		योग . . 5.96	
			सर्वे नं.
			प्रभावित रकबा
			(1) (2)
			64/1 1.045
			74 0.314
			81/3 0.084
			82/2 0.261
			96/2 1.200
			कुल रकबा . . 2.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 28 जून 2013

क्र. 2201-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-04-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूचित के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

ग्राम-कवई (कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत वाली डूब भूमि)

सर्वे नं.	प्रभावित रकबा
(1)	(2)
64/1	1.045
74	0.314
81/3	0.084
82/2	0.261
96/2	1.200
कुल रकबा . .	2.904

ग्राम-खेड़ा मौका का डोल (कवई सिंचाई योजना निर्माण के अन्तर्गत वाली डूब भूमि)

सर्वे नं.	प्रभावित रकबा
(1)	(2)
27/3/इ-1	0.303
27/5	0.084
29/4,30/3,30/4,	0.534
31/2,32/1,34/2	
34/1,34/3	4.483
35/इ-2	0.741
41/इ-2,42पै,43प	0.150
50/इ-2	1.467
126/1/इ-1,126/2,	0.670
127,128	
27/3/इ-2	0.193
35/इ-1	0.148
50/इ-1	0.623
कुल रकबा . .	9.396
कुल योग बांध . .	12.300

ग्राम-खेड़ा मौका का डोल (कवई सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली भूमि)

सर्वे नं.	प्रभावित रकबा
(1)	(2)
53/3	0.098
53/8	0.182
55/8/इ-2	0.084
46/12,53/12, 54/5, 55/6	0.040
242	0.073
51/3, 52/3, 53/4	0.060
52/4, 53/4, 54/2	0.028
कुल रकबा .	<u>0.565</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 51-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा
- (ग) ग्राम—जलकुंआ
- (घ) क्षेत्रफल—आबादी प्लाट का कुल का क्षेत्रफल 700.00 वर्गमीटर पर निर्मित कुल 03 मकान क्षेत्रफल 515.50 वर्गमीटर.

ग्राम-जीवापुरा विरान (कवई सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली भूमि)

सर्वे नं.	प्रभावित रकबा
(1)	(2)
64/1	0.130
244/इ-1	0.020
243 दुमट-II	0.052
244/इ-2	0.047
कुल रकबा. .	<u>0.249</u>
कुल योग नहर . .	<u>0.814</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम कवई, खेड़ा मौका का डोल, जीवापुरा विरान, तहसील सिंगोली, जिला नीमच में कवई सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन,
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

आबादी भूखण्ड का ख. नं. रकबा व.मी.	निर्मित रकबा वर्गमीटर में	
(1)	(2)	(3)
66	161.50	(1) पक्का मकान 161.50 वर्गमीटर.
66	350.00	(1) कच्चा/पक्का मकान 198.00 वर्गमीटर.
66	188.50	(1) कच्चा/पक्का मकान 156.00 वर्गमीटर.
	700.00	515.50 वर्गमीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 716-गोपनीय-2013-दो-3-3-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री सुधीर सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा का नाम सेवा अभिलेख में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। उनका नाम अब “श्री सुधीर सिंह राठौड़” किया जाता है।

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे।

Jabalpur, the 20th June 2013

No.726-confdl.-2013-II-3-1-2013.—Judicial Officers' Training and Research Institute, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training (FIRST PHASE) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 1-7-2013 to 27-7-2013 in the Institute. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1-7-2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court.
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur, One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make

arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Institute on telephone No. 0761-2628679, at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicle.

7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्र. C-4291-दो-3-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 10 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2013

क्र. D-2332-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहडोल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 2 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-2334-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 20 से 31 मई 2013 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 10 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-2336-दो-2-58-2007.—श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 20 मई से 1 जून 2013 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 1 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-2340-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 अप्रैल 2013 के एक दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-2342-दो-3-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 अप्रैल 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2344-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 16 अप्रैल से 3 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2346-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 8 से 15 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2348-दो-3-34-99.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सावर्जनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्र. C-4522-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 4 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4524-दो-2-44-2012.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4526-दो-2-19-07.—श्री राम प्रकाश वर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम वर्तमान में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की अवधि ब्लॉक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4528-दो-2-39-2011.—श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 22 से 24 अप्रैल 2013 तक

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4530-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 8 से 14 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4534-दो-3-66-2011.—श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 30 मार्च से 2 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4537-दो-3-34-99.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2013

क्र. C-4584-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4594-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4596-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 24 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4598-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4600-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 25 से 26 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. D-2405-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2407-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है—

- (1) दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 8 से 29 अप्रैल 2013 तक बाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्र. C-4644-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4648-दो-2-38-2011.—श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 22 से 28 मई 2013 तक सात दिन का, दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4650-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के तथा पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4653-दो-2-20-2013.—श्री जगतपति राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला) को दिनांक 10 से 30 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्कीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगतपति राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला) को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगतपति राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4655-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2414-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 18 से 19 मई 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक, छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2416-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. B-80-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री आर. बी. एस. बघेल, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके सेवानिवृत्ति

दिनांक 30 अप्रैल 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 149 दिवस (एक सौ उन्नचास दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री आर. बी. एस. बघेल, सेवानिवृत्त : 1-10-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-4-2013
3. नियुक्ति दिनांक : 5 वर्ष 5 माह 1-10-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 26 वर्ष सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : $5 \times 15 = 75$ दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : $26 = 13 \times 15 = 195$ दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
7. कुल अर्जित अवकाश : 270 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 195 दिन

अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2013 को शेष अर्जित अवकाश 149 दिवस).

नोट.— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-82-दो-3-14-2005.—श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 27 से 31 मई 2013 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 14 जून 2013 तक, चौदह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपयोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 21 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. B-84-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छ: दिन का दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्र. D-2454-दो-2-14-2013.—श्री विनोद कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को निमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है—

- (1) दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छ: दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 19 मई 2013 की शाम से दिनांक 27 मई 2013 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- (2) दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2456-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 20 से 26 मई 2013 तक, सात दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 27 मई से दिनांक 3 जून 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4800-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4812-दो-3-14-2006.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है—

- (1) दिनांक 27 मई से 3 जून 2013 तक, आठ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है
- (2) दिनांक 4 से 7 जून 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
- (3) दिनांक 12 से 14 जून 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्र. C-4910-दो-3-420-80-भाग-दस.—श्री यू. एस. बहरावत, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ और सौ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए

प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री यू. एस. बहरावत, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का नियुक्ति का दिनांक	: 7-9-1979
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	: 28-2-2013
3. नियुक्ति दिनांक 7-9-1979	: 7 वर्ष 6 माह से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से	: 25 वर्ष 11 दिन सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	: 7×15=105 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)	: 26=13×15=195 दिन.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	: 300 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	: 120 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	: 180 दिन
(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2013 को शेष अर्जित अवकाश 215 दिवस).	
नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।	

क्र. C-4912-दो-3-420-80-भाग-दस.—श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्ति (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस (एक सौ बयासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्ति (जिला एवं सत्र)	:	14-8-1978
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक.		
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	:	30-4-2013
3. नियुक्ति दिनांक 14-8-1978 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	8 वर्ष 6 माह
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	26 वर्ष 1 माह.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	$8 \times 15 = 120$ दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	$26 = 13 \times 15 = 195$ दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	315 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	133 दिन

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. C-4914-दो-2-27-13.—श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-4916-दो-2-14-13.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 10 से 15 जून 2013 तक छः दिवस के ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. C-4918-दो-2-18-2008.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. को केरी फारवर्ड करते हुए भारत भ्रमण के लिये उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 25 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
क्षी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2013

क्र. C-4592-दो-2-3-2010.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 21 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जारी तो रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2013

क्र. D-2452-दो-2-13-2010.—श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे. ओ. टी. आर. आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 27 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे. ओ. टी. आर. आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते हैं।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
क्षी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 652-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती दीपिका मालवीय	रीवा	मऊगंज	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मऊगंज, जिला रीवा।
2	श्री आदेश कुमार मालवीय	रीवा	मऊगंज	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मऊगंज, जिला रीवा।

क्र. 654-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक.....), दिनांक 10 अप्रैल 2013, 21 मई 2013 एवं 27 मई 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश,

वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री निधि मोदिता पिण्टो	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
2	श्री प्रियंक भारद्वाज	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
3	श्री मुकेश गुप्ता	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
4	श्री पियूष भावे	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना के न्यायालय के पष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
5	सुश्री राघवेन्द्र पटेल	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
6	सुश्री सुरुचि यादव	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, श्योपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
7	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
8	सुश्री उर्मिला चौहान	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, धार के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
9	श्रीमती सुनीता ताराम	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
10	श्री महेन्द्र सिंह रावत	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
11	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
12.	सुश्री दिव्या उड़ई	उमरिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उमरिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2013

क्र. 664-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अर्थार्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 3 एवं 10 जून, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री शालू सिरोही	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री निशान्त गर्ग	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4.	श्री प्रेमदीप सांकला	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री चन्द्रशेखर राठौर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 677-गोपनीय-2013-IV-12-40-2005(Pt.II).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम 2010 के तत्पंचांधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-I एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II) को उनकी व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम एस. सी. पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम एस. सी. पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनि.)	24-9-2012
2	श्रीमती संगीता यादव,	10-10-2012

	(1)	(2)	(3)
3	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर		22-9-2012
4	श्री अभिषेक गौड़		27-9-2012
5	श्रीमती नीलम मिश्रा		9-10-2012
6	श्री अशोक भारद्वाज		29-9-2012
7	श्री धनेन्द्र सिंह परमार		6-10-2012
8	श्री संजय अग्रवाल		24-9-2012
9	श्रीमती आरती आर्य दुबे		16-1-2013
10	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा		25-9-2012
11	श्री आदेश कुमार जैन		29-10-2012
12	श्री मनीष शर्मा		26-9-2012
13	श्री किशोर कुमार मिश्रा		28-9-2012
14	श्री रवि झारोला		24-9-2012
15	श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी		5-10-2012
16	श्री राजेश सिंह		3-10-2012
17	कु. सोनल चौरसिया		1-10-2012
18	श्री पंकज यादव		1-10-2012
19	श्री मोहम्मद अरशद		28-9-2012
20	श्री आशुतोष अग्रवाल		28-9-2012
21	श्री राकेश बंसल		4-10-2012
22	कु. क्षिप्रा पटेल		26-9-2012
23	श्री नीरज कुमार शर्मा		21-1-2013
24	श्री रवि प्रकाश जैन		24-9-2012
25	श्री आनन्द गौतम		13-3-2013
26	कु. प्रतिष्ठा अवस्थी		26-9-2012
27	कु. विनीता भटनागर		12-10-2012
28	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा		6-10-2012
29	श्री मनोज कुमार सिंह		1-10-2012
30	श्री विवेक पटेल		26-9-2012
31	श्रीमती सिद्धी मिश्रा		1-10-2012
32	श्री प्रवीण शिवहरे		25-9-2012
33	श्री विजय कुमार शर्मा		24-9-2012
34	श्रीमती ज्योति मिश्रा		24-9-2012
35	श्री कैलाश नारायण अहिरवार		25-9-2012
36	श्री वन्दन मेहता		26-10-2012
37	कु. श्वेता गोयल		24-9-2012
38	श्री प्रवीण पटेल		26-9-2012
39	श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल		24-9-2012
40	श्री प्रदीप कुमार दुबे		22-9-2012
41	श्री अहमद रजा		1-10-2012
42	श्री हरिओम अतलसिया		24-9-2012

(1)	(2)	(3)
43	श्री आलोक मिश्रा	16-1-2013
44	श्री हेमन्त कुमार यादव	6-10-2012
45	श्री इशांद अहमद	6-10-2012
46	श्रीमती नीलम शुक्ला	22-9-2012
47	श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया	23-1-2013
48	श्री संजय कुमार साही	28-9-2012
49	श्री सुशील कुमार जोशी	22-9-2012
50	कु. रश्मिना परवेज मंसूरी	29-9-2012
51	श्री मनीष सिंह ठाकुर	1-10-2012
52	श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनि.)	29-9-2012
53	श्री नीलेश यादव	24-9-2012
54	श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी	25-9-2012
55	श्री किशोर कुमार गेहलोत	25-9-2012
56	श्री अनिल कुमार साहू	1-10-2012
57	डॉ. कु. महजबी खान	5-10-2012
58	श्रीमती सोनल पटेल	26-9-2012
59	श्री भगवानदास राठौर	25-9-2012
60	श्री अब्दुल कदीर मंसूरी	26-9-2012
61	श्रीमती रमा जयंत मित्तल	25-9-2012
62	श्री चन्द्र शेखर जायसवाल	27-9-2012
63	श्री हर्ष सिंह बहरावत	24-9-2012
64	श्री दिनेश देवड़ा	23-10-2012
65	श्री अमजद अली	25-9-2012
66	श्री उत्तम कुमार डार्वी,	26-9-2012
67	श्री निरंजन कुमार पांचाल	3-10-2012
68	श्री संदीप कुमार पाटील	28-9-2012
69	श्री आदित्य रावत	9-10-2012
70	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा	29-9-2012
71	श्री विनोद कुमार पाटीदार	22-9-2012
72	श्री मातादीन रजक	26-9-2012
73	श्री सूरज सिंह राठौर	28-9-2012
74	श्री शिवलाल केवट	1-10-2012
75	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार	28-8-2013
76	श्रीमती उषा तिवारी (बोडिया)	2-10-2012
77	श्री नीरज मालवीय	25-9-2012
78	श्री राधा किशन मालवीय	24-9-2012
79	कु. पदमा जाटव	1-10-2012
80	श्री भूपेन्द्र नकवाल	26-9-2012
81	श्री आनन्द जाम्भूलकर	8-10-2012
82	श्री महेश कुमार चौहान	1-10-2012

(1)	(2)	(3)
83	श्री विवेक कुमार चन्देल	28-9-2012
84	श्री राजेन्द्र देवड़ा	4-10-2012
85	श्री अनिल दन्देलिया	24-9-2012
86	श्री संतोष चौहान	24-9-2012
87	श्री दिनेश कुमार नोटिया	27-9-2012
88	श्रीमती प्रेमा साहू	6-10-2012
89	श्री अजय नील करोठिया	27-9-2012
90	श्री गौतम कुमार गुजरे	1-10-2012
91	श्री दयाराम कुमरे	5-10-2012
92	श्री अजय पेन्दाम	14-1-2013
93	श्रीमती अभिलाषा एन. मवार	25-9-2012
94	श्री प्रकाश डामोर	6-10-2012
95	श्री आनंद कुमार सहलाम	27-9-2012
96	कुमारी समीक्षा सिंह	1-10-2012
97	श्री अमित भूरिया	1-10-2012
98	श्री राकेश कुमार ठाकुर	9-10-2012
99	श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर	4-10-2012
100	श्री सुधीर सिंह ठाकुर	3-10-2012
101	श्रीमती सविता ओगले	5-10-2012
102	श्रीमती संगीता पटेल	26-9-2012
103	श्री निर्मल मण्डोरिया	1-10-2012
104	श्री दारासिंह मण्डलोई	28-9-2012
105	श्री नरेश कुमार मीना	27-9-2012
106	श्री मानवेन्द्र पवार	25-9-2012
107	श्री आशीष प्रताप सिंह	24-9-2012
108	कुमारी सोमप्रभा ठाकुर	9-10-2012
109	श्री संतोष कुमार कोल	4-10-2012
110	श्री अजीत कुमार तिर्की	12-3-2013
111	श्री विजय कुमार सोनकर	1-10-2012
112	श्रीमती सपना पोर्टे	28-9-2012
113	श्रीमती रश्मि वॉल्टर	28-9-2012
114	श्री अनिल चौहान	28-9-2012
115	श्री दिलीप सिंह	25-9-2012
116	श्री किशोर कुमार निनामा	25-9-2012
117	श्री तेज प्रताप सिंह	28-9-2012
118	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे	1-10-2012
119	श्रीमती सुमन उइके	30-10-2012
120	श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे	29-9-2012
121	श्री प्रदीप कुमार वरकडे	1-10-2012
122	श्री दीपराज कावडे	28-9-2012

(1)	(2)	(3)
123	श्री प्रकाश केरकेटा	28-9-2012
124	श्रीमती बरखा दिनकर	26-9-2012
125	श्रीमती किरण कोल	26-10-2012
126	श्री राकेश जमरा	1-10-2012
127	श्री आशीवाद भिलाला	24-9-2012
128	श्री प्रणयदीप ठाकुर	1-10-2012
129	श्री अमन सिंह भूरिया	28-9-2012

संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) (व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2) संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, उन्हें व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] बेतनमान रूपये 33090-920-40450-1080-45850/-प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

क्र. 714-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक 19), दिनांक 3 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीकीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थि किया जाता है :—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री शालू सिरोही	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).

टिप्पणी.—आदेश क्र. 664-गोपनीय-2013, दिनांक 13 जून 2013, जहां तक इसका संबंध आदेश के सरल क्रमांक-1 में उल्लेखित सुश्री शालू सिरोही के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज) के रूप में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्र. 724-गोपनीय-2013-II-2-36-61(Part-VI).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9(घ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :—

क्र.	उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त	बालाघाट
2	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	गवालियर

(1)	(2)	(3)
3	श्री देव नारायण मिश्रा	इन्दौर
4	श्री सुबोध कुमार जैन	महिदपुर (उज्जैन)
5	श्रीमती रेणुका कंचन	देवास
6	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी	छिंदवाड़ा
7	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	टीकमगढ़
8	श्री ब्रह्मशंकर दीक्षित	टीकमगढ़
9	श्री रामानन्द चंद	डबरा (ग्वालियर)
10	श्री आनन्द कुमार तिवारी	धार
11	श्री सुशांत हुद्दार	महू (इंदौर)
12	श्री धरमिन्दर सिंह	भोपाल
13	श्री उमेश पाण्डव	विदिशा
14	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	शिवपुरी
15	श्री ललित किशोर	मुरैना
16	श्री अनीष कुमार मिश्रा	उज्जैन
17	श्रीमती ममता जैन	जबलपुर
18	श्रीमती अशिता श्रीवास्तव	खण्डवा
19	श्री राजाराम भारतीय	सोनकच्छ (देवास)
20	श्री दीपेश कुमार तिवारी	उज्जैन
21	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल	गोहद (भिण्ड)

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 730-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-बत्तीस).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित प्रश्नशु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुमारी रूचिता गुर्जर (ट्रेनी जज).	नीमच	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज), की हैसियत से.

टिप्पणी।—कुमारी रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), नीमच का स्थानांतरण, उनके स्वयं के व्यय पर विचारोपरांत किया गया है। इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. 733-गोपनीय-2013-दो-3-70-60.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(घ) के अन्तर्गत निम्नतर न्यायिक सेवा के निम्न व्यवहार न्यायाधीशों को प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है

कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :—

सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सोनल पटेल	शाजापुर
2	श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई	मण्डलेश्वर
3.	श्री मयंक मोदी	शिवपुरी
4	श्री दीपक चौधरी	चन्द्री (अशोक नगर)
5	श्रीमती श्वेता तिवारी	इंदौर
6	श्री शशांक खरे	बैतूल
7	श्रीमती बबीता होरा शर्मा	मनासा (नीमच)
8	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव	महिदपुर (उज्जैन)
9	श्री अरविन्द कुमार बारला	दमोह
10	श्रीमती विनीता गुप्ता	जोबट (अलीराजपुर)

क्र. 736-गोपनीय-2013-दो-3-250-57(भाग-32)-शुद्धि-पत्र.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 654-गोपनीय-2013-दो-3-250-57(भाग-32), दिनांक 29 मई 2013 के सारणी के स्तम्भ क्रमांक (1) के सरल क्रमांक 5 के समक्ष, स्तम्भ क्रमांक (2) में, “सुश्री राघवेन्द्र पटेल” के स्थान पर “श्री राघवेन्द्र पटेल” पढ़ा जावे।

क्र. 744-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न सारणी में दर्शित अध्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 1-2012-इक्वीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 27 मई एवं 14 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमित नगायच	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री समीर कुमार मिश्रा	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के षष्ठ् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री प्रीतम बंसल	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	सुश्री रेतु खेस	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 25 जून, 2013

क्र. 747-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री अजय प्रकाश मिश्रा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 749-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्री मृत्युन्जय सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सतना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री मृत्युन्जय सिंह, को सतना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री मृत्युन्जय सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 142-स्था.सैट-2013.—श्री नितिन धगट, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाशकाल में श्री धगट को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
3. उक्त अवकाश से लौटने पर श्री धगट को अस्थायी रूप से, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धगट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक मूलभूत नियम 26 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

(माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत)

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ-1-7-2013-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील स्लीमनाबाद, जिला कटनी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा, जिला कटनी की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	स्लीमनाबाद	स्लीमनाबाद	बहोरीबंद	वर्तमान तहसील बहोरीबंद के रा.नि.मं. स्लीमनाबाद के प.ह.नं. 55 से 79 तक कुल 25 तथा तहसील ढीमरखेड़ा के रा.नि.मं.उमरियापान के प.ह.नं.1 से 10 तक, कुल 10, इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के हल्के जिनमें 81 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में—तहसील ढीमरखेड़ा. पश्चिम में—तहसील बहोरीबंद उत्तर में—तहसील रीठी दक्षिण में—तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर.
2	शेष तहसील	बहोरीबंद	बहोरीबंद	वर्तमान तहसील बहोरीबंद के रा.जन.मं. स्लीमनाबाद के प.ह.नं. 55 से 79 तक कुल 25 प.ह. अपवर्जित होकर कुल 54 पटवारी हल्के हल्के जिनमें कुल 144 ग्राम हैं, शेष रहेंगे।	पूर्व में—प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद पश्चिम में—तहसील पटेरा, तहसील जबेरा उत्तर में—तहसील शाहनगर दक्षिण में—तहसील सिहोरा
3	शेष तहसील	ढीमरखेड़ा	ढीमरखेड़ा	वर्तमान तहसील ढीमरखेड़ा के रा.नि.मं. उमरियापान के प.ह.नं. 1 से 10 कुल 10 अपवर्जित होकर कुल 63 पटवारी हल्के हल्के जिनमें कुल 190 ग्राम हैं, शेष रहेंगे।	पूर्व में—तहसील बांधवगढ़ पश्चिम में—तहसील मझौली, तहसील सीहोरा. उत्तर में—प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद, तहसील बड़वारा. दक्षिण में—तहसील कुण्डम.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

एफ क्र. 15-42-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 108(2) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील—सिराली

जिला—हरदा

क्र.	ग्राम का नाम एवं	अधिकार अभिलेख तैयार
------	------------------	---------------------

प.ह.नं.	करने के लिए प्राधिकृत
---------	-----------------------

	अधिकारी का नाम
--	----------------

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

1.	1. मूल ग्राम—कडोला राघो	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
----	-------------------------	---------------------

2.	2. नवीन ग्राम—बीड	(नियमित) जिला हरदा.
----	-------------------	---------------------

प.ह.नं.	24.
---------	-----

तहसील—खिरकिया

जिला—हरदा

2.	1. मूल ग्राम—बड़नगर	अधीक्षक, भू-अभिलेख,
----	---------------------	---------------------

2.	2. नवीन ग्राम—भागपुरा	(नियमित) जिला हरदा.
----	-----------------------	---------------------

प.ह.नं.	2.
---------	----

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्र. एफ 15-42-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-42-2013-सात-6, दिनांक 11 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th July 2013

F. No. 15-42-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :—

SCHEDULE

Tahsil—Sirali

District—Harda

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
1.	Org. Vill.—Karola Raghoo.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Harda.
2.	New Vill.—Beed P.H.No.—24	District—Harda.

Tahsil—Khirakiya

District—Harda

2.	1. Org. Vill.—Badnagar	Superintendent of Land Records (Regular),
2.	2. New Vill.—Bhagpura P.H.No.—2.	District—Harda.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh,

ASHOK GUPTA, Addl. Secy.